

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:-120/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00120)

1. बालूराम पुत्र लादू जाति गुर्जर निवासी दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर।
(फौत)

1/1 मनभर देवी पत्नी स्व0 श्री बालूराम जाति गुर्जर निवासी दूदू
तहसील दूदू जिला जयपुर।

अपीलांत

बनाम

- विष्णु कुमार जोशी पुत्र सीताराम जोशी जाति ब्राह्मण नि0 ए 454 वैशाली
नगर नर्सरी सर्किल के पास जयपुर राजस्थान
- गोपाल पुत्र छोटू (समस्त जातियान
- बन्ना पुत्र देवकरण(नाम तर्क) गुर्जर निवासीयान
- सायर देवी पत्नी रामकरण दूदू जिला
- रामकवरी पत्नी रामजीवण जयपुर
- श्रीनारायण पुत्र लादू(नाम तर्क) राजस्थान
- रामू पुत्र लादू
- रामस्वरूप पुत्र लादू)
- राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार , दूदू जिला जयपुर।
- सब रजिस्ट्रार, दूदू जिला जयपुर राजस्थान

रेसपोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,
विरुद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 17.05.2016 उपखण्ड
अधिकारी, दूदू राजस्व वाद संख्या 20/2014


उपस्थित:-

- श्री वी.एल.शर्मा, अभिभाषक अपीलांत.
- श्री सुरेन्द्र शर्मा, अभिभाषक रेसपोडेंट संख्या 1 .
- श्री दीपक पारीक, अभिभाषक रेसपोडेंट संख्या 04.
- श्री हरीश साहु, अभिभाषक रेसपोडेंट संख्या 07.
- रेसपोडेंट संख्या 2, 5, 8 अनुपस्थित.
- रेसपोडेंट संख्या 3 व 6 का नाम तर्क.

निर्णय

दिनांक:-24.05.2023

- यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण
संख्या 20/2014 में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2016
के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।


राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने एक वाद बाबत तकासमा व रथाई निषेधाज्ञा पेश किया वादी ने वाद कारण अंकित कर तकासमा एवं रथाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा तथा मौके पर काविज अनुसार अर्थात् संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित आराजी का वादी के काविज अनुसार तकासमा का अनुतोष चाहा तथा रथाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2015 को प्रतिवादीगण/अपीलांट की एकतरफा कार्यवाही कर दिनांक 30.12.2015 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दिए तथा दिनांक 17.5.2016 को वाद निर्णय व अंतिम डिक्री प्रदान कर दी गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 20/2014 में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 17.05.2016 से अरांतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोंडेंट संख्या 2, 5, 8 बावजूद सूचना के अनुपरिस्थित।
4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंगत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवदेन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 6447, 6448, 6449, 6467, 6469 कुल किता 5 कुल रकबा 4.13 हैक्टर खसरा नम्बर 4289, 4290 कुल किता 2 रकबा 1.15 हैक्टर ग्राम दूदू जिला जयपुर बाबत इकतरफा अंतिम डिक्री दिनांक 17.05.2016 को की गई है जिसमें प्रार्थी के विरुद्ध दिनांक 28.11.2015 को इकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कभी भी प्रार्थी की तलवी विधि के आज्ञापक प्रावधानों के अनुरूप जारी नहीं की एवं बिना आदेश न्यायालय के अखबारसाया किया जाकर विधि विरुद्ध इकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2016 जारी की गई है जो कि अवैधानिक एवं विधि की अवज्ञा कर पारित की गई है जिसमें मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। चूंकि प्रथम बार इकतरफा निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 9.3.2019 को अप्रार्थी संख्या 1/वादी द्वारा कब्जा प्राप्त करने एवं इकतरफा निर्णय व डिक्री पारित करवा लेने की धमकी देने पर प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जानकारी करने एवं दिनांक 11.3.2019 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने से हुई जो अंदर मियाद प्रस्तुत है। उक्त इकतरफा कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री पारित करने की पूर्व में कभी जानकारी नहीं रही है प्रार्थी अनपढ़ काश्तकार व्यक्ति है न्याय हित में दिनांक 30.12.2015 से दिनांक 29.03.2019 तक का समय कण्डोन फरमाया जाए। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देशी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।
5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा तकासमा एवं रथाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत कर संलग्न नजरी नक्शे के अनुरूप एवं कब्जे के अनुरूप तकासमा का अनुतोष चाहा था संलग्न नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 6467 में वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 1 का हिरसा दर्शाया गया था जो कि मुख्य सड़क व रास्ते पर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.12.2015 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया व बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस पारित किया गया जब की रिकार्ड पर न तो वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी। अधीनस्थ



[Signature]
न्याय्य अपील प्राधिकार
अजमेर



न्यायालय द्वारा कभी भी अपीलांत की तामिल हेतु समुचित प्रयास नहीं किए गए अपीलांत/प्रतिवादी ग्राम दूदू के मूल निवासी है जिनकी साधारण या डाक द्वारा भी तामिल करवाई जा सकती थी चूंकि अपीलांत कृषि पेशा व्यक्ति है तथा अखबार नहीं पड़ते है दिनांक 18.11.2015 को अपीलांत की एकतरफा कार्यवाही जरिए अखबार तलबी मानते हुए की गई है जबकि न्यायालय की आदेशिकाओं से यह कही भी प्रमाणित नहीं होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कभी भी अखबार साया द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी के आदेश पारित किए गए थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुरूप बिना पक्षकारों के सहमति, समझौते के एकजाई भूमि तकासमा में नहीं दी जा सकती थी हरतगत प्रकरण में दिनांक 30.12.2015 को प्राथमिक डिक्री में एकजाई भूमि कर बंटवारा करने का कोई निर्णय व डिक्री पारित नहीं किया गया था तत्पश्चात भी पटवारी हल्का द्वारा जो नक्शे कुरेजात तैयार किए गए उसमें आराजी खसरा नम्बर 6447, 6448, 6449, 6467, 6469 प्रत्येक खसरा नम्बर में से रेस्पोंडेंट/वादी संख्या 1 को मुताबिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2015 के अनुरूप नक्शे कुरेजात तैयार नहीं किए जाकर सुगम सरस व कीमती भूमि जो की रास्ते पर अवस्थित है खसरा नम्बर 6448 रकबा 1.38, 6467 रकबा 1.48 दे दी गई जो की निरस्त होने योग्य है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2015 में पारित निर्णय के अनुरूप तहसीलदार दूदू को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बॉर्डस के सिद्धांत के अनुसार तकासमा किया जाता है, परंतु तहसीलदार दूदू द्वारा नक्शे कुरेजात तैयार नहीं किए गए। पटवारी हल्का द्वारा जो नक्शे कुरेजात तैयार किए गए उसने अपनी मनमर्जी से वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 1 को खसरा नम्बर 6448, 6467 कुल किता 2 कुल रकबा 2.80 है0 व खसरा नम्बर 4290 रकबा 0.11 है0 तथा अपीलांत एवं अन्य रेस्पोंडेंट संख्या 2 लगायत 8 एवं नूर मोहम्मद व गुलाब के सामलाती रूप से खसरा नम्बर 6447, 6448, 6449, 6467, 6469 कुल किता 5 कुल रकबा 4.13 है0 एवं अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट संख्या 5,2,6,7 व 8 व गुलाब के खसरा नम्बर 4289, 4290 कुल किता 2 कुल रकबा 1.15 का अंकन करते हुए तैयार किए एवं इसी अनुरूप न्यायालय में प्रस्तुत किए। जबकि तहसीलदार दूदू को प्रत्येक सहखातेदारान का अलग-अलग बंटवारा कर बाई मीट्स एण्ड बॉर्डस के सिद्धांत के अनुसार नक्शे कुरेजात तैयार किए जाने चाहिए थे। अधीनस्थ न्यायालय ने नक्शे कुरेजात में अंकित नोट व संलग्न मूल नक्शे कुरेजात का अवलोकन नहीं किया एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.12.2015 में पारित निर्णय व डिक्री का अवलोकन नहीं कर बनाराम जो सहखातेदार नहीं था उससे अनापत्ती दर्ज करते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2016 जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय में कभी भी प्रतिवादीगण/अपीलांत की तामिल विधि एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुरूप जारी नहीं करवाई गई है न्यायालय को मुगालते में रखकर एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्राप्त कर लिए गए है उसी आधार पर एक तरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2016 प्राप्त कर ली गई है जो निरस्त योग्य है। मौके पर वादी जो की अजनबी क्रेता है का कब्जा भी नहीं रहा था। वादी जमीनों के खरीद-फरोक्त का काम करता है तथा प्लोटिंग काट कर बिना कब्जे के उक्त प्लोटों के बैचान कर कार्य करता है चूंकि वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने रास्ते के लगवा मुख्य सडक के पास अपना तकासमा अवैधानिक रूप से करवा लिया है जिससे अपीलांत का कृषि भूमि में जाने का रास्ता बंद हो गया है जबकि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप

साहखातेदारान के आवागमन व रास्ते का समुचित व्यवस्था हेतु प्रावधान किए गए हैं, इसलिए भी हस्तगत निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांत स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 20/2014 में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं— हाई कोर्ट जजमेंट दिनांक 13.04.2017, राजस्थान हाई कोर्ट सिविल रिट 04.04.2017, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 07.05.2019, आरबीजे(23)2016.

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांत को शुरू से जानकारी थी अपीलांत ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांत ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।
7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि आराजी खतौनी संख्या 148 के आराजी खसरा नम्बर 6447 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 6448 रकबा 2.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 6449 रकबा 0.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 6467 रकबा 2.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 6449 रकबा 0.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 6467 रकबा 2.05 हैक्टर खसरा नम्बर 6469 रकबा 1.3300 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 6.80 हैक्टर जिसमें प्रतिवादी 1/3 हिस्से का खसरा नम्बर 7603/4289 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 7604/4290 रकबा 0.19 हैक्टर खसरा नम्बर 7602/6449 रकबा 0.33 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 0.81 हैक्टर जिसमें प्रतिवादी 1/6 हिस्से का व नामांतरकरण संख्या 1032 दिनांक 4.8.2014 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 6447, 6448, 6449, 6467, 6469 कुल किता 5 कुल रकबा 6.93 हैक्टर हिस्सा 40/91 का काबिज काश्त एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से के वादीगण काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार हैं। मौके पर वादी एवं प्रतिवादी ने विवादित आराजी का बाहमी बंटवारा कर काबिज काश्त है, जिसमें प्रतिवादी के हिस्से की कब्जे काश्त की आराजी को वाद-पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से एवं शेष आराजी वादीगण के हिस्से की आराजीयात है। विवादित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से तकासमा नहीं होने से वादी एवं प्रतिवादी में विवाद रहने लग गया। प्रतिवादी ने अपने हिस्से की आराजीयात को काफी उन्नत व उपजाऊ बना लिया था जिससे वादी की नियम बदल गई व वर्तमान में जमीनों के भाव में हो रही वृद्धि को देखते हुए भी उसकी नियत में परिवर्तन हुआ व प्रतिवादी को बेदखल करना चाहता है। राजस्व रिकार्ड में तकासमा नहीं होने के कारण प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है इसलिए वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुयी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये थे। प्रतिवादीगण की विधि सम्मत तामील नहीं होने के कारण नोटिस अखवार साया करने के आदेश दिये थे बावजूद सूचना के प्रतिवादी संख्या 1से 06, 8 उपस्थित नहीं हुए इसलिए एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। उक्त एक पक्षीय कार्यवाही आदेश 5 जाप्ता दीवानी के तहत विधि सम्मत है



राजस्थान हाईकोर्ट
अजमेर

क्योंकि प्रतिवादीगण को जारी नोटिस की तामील नहीं हुयी तथा प्रतिवादीगण तामील से बचते रहे इसलिए नोटिस अखबार साया के आदेश विधि सम्मत हैं। तहसीलदार, दूदू से प्राप्त नक्शें कुरेजात सही होने से नक्शे कुरेजात अनुसार वादी का वाद डिक्री विधि संगत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। न्यायहित में प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।
9. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर में अवस्थित वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 01 के द्वारा वास्ते तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 9.9.2014 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए जाने के आदेश प्रदान किए उक्त प्रकरण में आगामी पेशी नियत की गई तत्पश्चात उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्य पेशीयों पर तामिली हेतु नियत की गई तत्पश्चात उक्त पत्रावली दिनांक 23.2.2015 को इंतजार तामिली हेतु नियत कर उक्त पत्रावली बाबत आगामी पेशी दिनांक 25.3.2015 को आगामी पेशी नियत की गई परंतु इतना लिखने पर वादी अभिभाषक को प्रतिवादीगण के तलबी हेतु रजिस्टर्ड एडी तलवाना पेश करने का आदेश प्रदान कर उक्त पत्रावली आगामी पेशी हेतु नियत की गई उक्त पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के अवलोकर से स्पष्ट है कि वादी अभिभाषक द्वारा प्रतिवादीगण के रजिस्टर्ड डाक के संबंध में किसी भी प्रकार से रजिस्टर्ड एडी नोटिस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए और ना ही उक्त पत्रावली बाबत प्रतिवादीगण के किसी भी प्रकार से सम्यक नोटिस तामिल शुदा अथवा अदम तामिल नोटिस पत्रावली पर प्राप्त हुए बिना ही उक्त पत्रावली बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.8.2015 को उक्त पत्रावली बाबत तामिल प्राप्त नहीं इंतजार तामिल दिनांक 30.9.2015 की पेशी नियत कर दी परंतु इतना लिखने पर वादी अभिभाषक के अखबार साया करवाना जाहिर करने पर उक्त पत्रावली बाबत अविधिक रूप से सीधे ही अखबार साया किए जाने के आदेश प्रदान कर दिए जो कि सिविल प्रकिया संहिता में निर्धारित आदेश 5 के नियमों के विपरीत थे विधिनुसार साधारण नोटिस तामिल होने के उपरांत रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी होने के उपरांत ही अखबार साया के आदेश प्रदान किए जाने चाहिए थे परंतु उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ना तो साधारण नोटिस की आदम तामिली की रिपोर्ट और ना ही रजिस्टर्ड एडी की नोटिस जारी अथवा अदम तामिली के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों के




राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



विरुद्ध जाकर सीधे ही अखबार साया के आदेश प्रदान कर दिए, इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त/प्रतिवादीगण को नैसर्गिक न्याया के सिद्धांतों के विपरीत जाकर उन्हें समुचित रूप से साक्ष्य एवं सुनवाई तथा अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं कर उक्त आदेश दिनांक 30.12.2015 पारित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.12.2015 के पश्चात उक्त पत्रावली बाबत दिनांक 17.5.2016 को अंतिम डिक्री पक्षकारों की सहमति से वाद मुताबिक नक्शा कुरेजात किए जाने का अविधिक आदेश प्रदान कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्राथमिक डिक्री के आदेश 30.12.2015 में स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि संबंधित तहसीलदार दूदू समस्त खातेदारान की मौजूदगी में कुरेजात रिपोर्ट मुर्तिब कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे परंतु उक्त पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्त/प्रतिवादीगण को सम्यक रूप से नोटिस तामिल नहीं हुए इस कारण से संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी नियमों 18 से 21 की बिना विधिवत रूप से पालना करवाए उक्त कुरेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली बाबत बन्नाराम एवं नूर मोहम्मद द्वारा ही अपनी सहमति प्रदान की गई जबकि संबंधित तहसीलदार द्वारा नक्शे कुरेजात रिपोर्ट में नोट अंकित कर इस बात का स्पष्ट रूप से अंकित किया कि नूर मोहम्मद पुत्र सलीमुददीन व गुलाब खां पुत्र लादू को उक्त राजस्व वाद में प्रतिवादी के रूप में मुर्तिब नहीं किया गया तथा बन्ना पुत्र देवकरण को उक्त खसरा नम्बर में किसी भी प्रकार से हिस्सा इत्यादि नहीं बनता है इस प्रकार से उक्त बन्नाराम व नूरमोहम्मद से ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूरे वाद बाबत अंतिम डिक्री किए जाने के आदेश प्रदान करने में भारी विधिक त्रुटि कारित की है तथा विधिनुसार राजीनामे के आधार पर किए जाने वाली डिक्री सभी पक्षकारों की सहमति आवश्यक होती है जबकि उक्त प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण में से केवल एक प्रतिवादीगण की सहमति बाबत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर हस्ताक्षर किए गए हैं इस प्रकार से उक्त प्रकरण में अन्य संबंधित पक्षकारों द्वारा किसी भी प्रकार से कोई सहमति प्रकट नहीं की गई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आराजियात के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.12.2015 के विरुद्ध अपीलान्तस द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 2019/00121 बउनवान बालूराम (मृ) मनभर देवी बनाम विष्णु कुमार वगैरह प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 24.05.2023 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को प्रतिप्रेषित किया गया है। जब अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.12.2015 निरस्त हो चुकी है तो उसके आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 17.05.2016 भी स्वतः ही सारहीन हो जाती हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्तस स्वीकार योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 17.05.2016 निरस्त योग्य पायी जाती है।

10. अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा वाद संख्या 20/2014 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 17.05.2016 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।


राजस्व अपीलान्त प्राधिकारी
अजमेर



(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर